



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 54वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 54वीं बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित अशोका सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी
कुलपति,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
अध्यक्ष
2. प्रो. एस. पालरिया
विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
3. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर,
विभागाध्यक्ष-जनसंख्या अध्ययन विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
4. प्रो. मनोज कुमार,
संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं
विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
5. प्रो. जी.के.कोहली,
संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं
विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
6. प्रो. सतीश अग्रवाल,
संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
7. प्रो. रीटा मेहरा,
विभागाध्यक्ष-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
8. प्रो. नीरज भार्गव,
विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर साईंस विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
9. प्रो. आशीष भटनागर,
विभागाध्यक्ष- सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य
10. प्रो. शिव दयाल सिंह,
विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
सदस्य

- | | | |
|-----|--|------------|
| 11. | प्रो. प्रवीण माथुर,
संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण,
विभागाध्यक्ष- पर्यावरण विज्ञान
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 12. | डॉ. वी. के. कांकरिया,
संकायाध्यक्ष- शिक्षा संकाय एव प्राचार्य,
क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर | सदस्य |
| 13. | प्रो. गोविन्द पारीक,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर | सदस्य |
| 14. | श्री दीपक राज महरोत्रा,
प्राचार्य,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 15. | डॉ. अनूप कुमार
संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य,
दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 16. | डॉ. डी.के. सिंह,
संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर | |
| 17. | कुलसचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य-सचिव |

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो. जी. सोरल, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
2. प्रो. बी.एल. चौधरी, अध्यक्ष, मा. शि. बो. राजस्थान, अजमेर
3. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष- वाणिज्य संकाय
4. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 10.06.2016 को सम्पन्न हुई 53वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (53) शैक्षणिक-I/मदसवि/2015/15123-40 दिनांक 15.06.16 को प्रेषित की गई।	शैक्षणिक-I
निर्णय	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	

मद सं. 2	दिनांक 10.06.2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 53वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (अनुपालना रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की जायेगी) (कार्यसूची का परिशिष्ट-1)	शैक्षणिक-I
निर्णय	अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।	
मद सं. 3	माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय पत्रांक 4719-22 दिनांक 27-7-2016 में विषय विशेषज्ञों का पेनल तैयार करने के लिए जिन डीन तथा विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर को निवेदन किया गया था उसके आधार पर निम्नांकित विषयों के विशेषज्ञों के पेनल प्रायः थे :- <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. गणित 5. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 6. इतिहास 7. अर्थशास्त्र 8. भूगोल 9. समाजशास्त्र 10. राजनीति विज्ञान संलग्न सूची के अनुसार विशेषज्ञों के पेनल पर राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षकों व अधिकारियों नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम-1974 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण II के प्रावधानान्तर्गत विचार कर अनुशंसा करना । (विशेषज्ञों के पेनल पटल पर प्रस्तुत होंगे) (कार्यसूची का परिशिष्ट-2)	संस्थापन
निर्णय	उपरोक्त विषयों एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पैनल, पटल पर प्रस्तुत किए गए एवं अनुमोदन किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कम्प्यूटर एप्लीकेशन के पैनल पर कम्प्यूटर साईंस लिखा गया था, जिसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन पढा जाए। उपरोक्त पैनल संस्थापन अनुभाग द्वारा संधारित किए जाएँगे।	
मद सं. 4	माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1() संस्था/मदसविवि/2016/ 4996 दिनांक 12-08-2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के Ordinances Governing services conditions etc. of University Teacher & Employees 1998 के Recruitment & Promotion Rules के Chapter II के नियम 7 की अनुसूची 1 व नियम 14 के अनुसूची III के I II (b) में University Grants Commission (Minimum Qualification for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4 th Amendment), Regulations, 2016 दिनांक 11 जुलाई, 2016 के अनुसार संशोधन करने, Academic Record/Background व Research Performance के Weightages का Bifurcation करने एवं आवेदन पत्र, विज्ञापन मय अनिवार्य/वांछित योग्यता, लिखित परीक्षा व संवीक्षा प्रपत्र का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार कर निर्णय करना (समिति की अनुशंसाएँ पटल पर प्रस्तुत की जायेगी) (कार्यसूची का परिशिष्ट-3)	संस्थापन
निर्णय	प्रो० मनोज कुमार के संयोजन में गठित समिति की अनुशंसाएँ निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित की गईं :	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Application forms must be submitted on line as well. 2. In the UGC regulation 2016 point no. 6.0.5.(i) may be omitted and the Vice Chancellor be authorised to approve the list of journals for publications in each subject based on the recommendation of a Committee to be formed as below : <ol style="list-style-type: none"> (i) Dean (ii) Head/Subject Expert (iii) Subject Expert <p style="text-align: center;">The subject experts be nominated by the Vice Chancellor</p> 3. Following needs to be added in the minutes of the Committee, point no.3, third line: "के कार्यवृत्त" before "दिनांक 11.3.2002", "or equivalent grade" in the Good Academic Record after 55% marks and "and graduation" at the end of the sentence. 4. Enclosure E. Terms and conditions point no. 13. Read "Certificates/documents" and delete 'and his' 5. Enclosure F Qualifications point K. page 2, the line should be replaced verbatim with what has been written in the UGC letter DO No.F.17-8/2013(PS) dt. 1.3.2016 6. Explanation of evidence of having guided doctoral candidates for Asso. Professor and Professor may be deleted and left for the discretion of Selection Committee. 7. Qualifications for Assistant Professor in Computer Applications were sought from the Head of the Deptt. Prof. Neeraj Bhargava and were approved. 	
मद सं. 5	<p>माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करना:-</p> <p>(1) प्रतिवेदन है कि सिन्धी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 04.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत दिनांक 08.07.2016 को किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-4)</p>	शैक्षणिक-I
निर्णय	अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि, परीक्षाएं विश्वविद्यालय स्कीम के अनुसार कराई जाएंगी।	

सदस्या प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विभाग द्वारा उपरोक्त सभी निर्णयों पर विमति दर्ज करायी गयीं। प्रो. मेहरा द्वारा दिए गए विमति पत्र संबंधित अनुभाग को प्रेषित किये गये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव